भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 819
7 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारिता नीति

†819. प्रो. अच्युतानंद सामंत:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) देश की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के साथ सामंजस्य बनाते हुए देश की सहकारिता संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): जी हां मान्यवर । नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने के लिए दिनांक 2 सितम्बर, 2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है जिसमें सहकारी सेक्टर के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयकों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है । नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनने से "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन होगा, देश में सहकारी आंदोलन सशक्त होगा और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक होगी । इस संबंध में, हितधारकों के साथ पहले परामर्श किया गया और नई नीति बनाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों, संस्थानों के साथ-साथ आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे । नई नीति का प्रारूप बनाने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की समिति समेकित फीडबैक, नीति सुझावों और सिफारिशों की समीक्षा करेगी ।

(ख): भारत की सहकारी संरचना को सशक्त करने और उसे देश के आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पश्चात्, सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पैक्स का कंप्यूटरीकरण: 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है ।

2. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां: पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों के प्रापण, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसी 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करने के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया ।

3. कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स: पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, ग्रामीण स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

4. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों की मदद के लिए देश के सभी सेक्टरों की सहकारी समितियों के प्रमाणिक और अद्यतित डाटा भंडार हेतु एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस आरंभ किया जा रहा है ।

5. राष्ट्रीय सहकारी नीति: सक्षम परितंत्र सृजित करके 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया ।

6. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन: सतानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने व निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्व-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार' आरंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया ।

8. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान: गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके ।

9. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल: जेम पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और पारदर्शिता के साथ वे लगभग 40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे ।

10. सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

11. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है ।

12. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

13. <u>नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना:</u> केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की घोषणा की गई है ।

14. <u>पैक्स और PCARDBs द्वारा पैक्स और PCARDBs द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी:</u> केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की है ।

15. <u>स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि:</u> केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की है ।

16. <u>चीनी सहकारी मिलों को राहत:</u> सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) अथवा राज्य की सलाह मूल्य (SAP) तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

17. <u>चीनी सहकारी मिलों के पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान:</u> केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

18. <u>राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति:</u> बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा ।

19. <u>राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति:</u> बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रमाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा ।

20. <u>राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति:</u> बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगा ।

****